''ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक महिला शिक्षकों की सामाजिक–आर्थिक समस्यायें : एक अध्ययन''

(ग्रामीण मुरादाबाद के विशेष संदर्भ में)

Dr. Mohammad Kamil[1]& Km. Bazme Zhera[2]

1. Shri Venkateshwara University, Gajraula, Uttar Pradesh.
2. Research Scholar, Shri Venkateshwara University, Gajraula, Uttar Pradesh.

शिक्षा किसी भी व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के विकास की धुरी होती है। शिक्षा के बिना कोई भी राष्ट्र समाज या व्यक्ति प्रगति नहीं कर सकता है। शिक्षा और समाज एक दूसरे के पूरक है। इस पूरक को पूर्ण बनाने का कार्य शिक्षक करते हैं। शिक्षा का कार्य केवल अवधारणाएँ या परिकल्पनाएँ प्रस्तुत करना ही नहीं है बल्कि प्रचलित शिक्षा प्रणाली तथा शैक्षिक अवधारणाओं की आलोचना करना भी है। प्राथमिक शिक्षा में महिला शिक्षक का होना अपरिहार्य है क्योंकि महिलाओं में सिखाने की क्षमता, ममत्व, मातृत्व तथा रचनात्मक प्रकृति प्रदत्त होता है इसीलिए बुद्धजीवियों तथा शिक्षाविदों ने प्राथमिक शिक्षा में 50 प्रतिशत महिलाओं को स्थान देने की सलाह दी है, जिसे सरकार ने लागू भी कर दिया।

शिक्षा में हम अनेक शब्दो, परिभाषाओं, विश्वासों, आदर्शो तथा अवधारणाओं को लेकर चलते हैं। गाँधी जी मानते थे कि शिक्षा जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण है। आज प्रत्येक बुद्धिजीवी एवं चिन्तनशील व्यक्ति मानव जीवन में चारित्रिक पतन एवं मूल्यहीनता की और बढ़ रहे समाज के अवमूल्यन के प्रति चिन्तित है। यह चिन्ता स्वाभाविक भी है, क्योंकि भारतीय शिक्षा प्रणाली में मूल्यपरक व व्यावहारिक शिक्षा को सदैव महत्व दिया गया। हमारे मनीषियों, चिन्तकों एवं शिक्षाविदों ने मूल्यों पर आधारित शिक्षा को ही ज्ञान माना है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा था कि "जो ज्ञान मान और हृदय को पवित्र करे, केवल वही सच्चा ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है।" शिक्षा से जीवन निर्माण, मानव निर्माण, चरित्र–निर्माण एवं समाज निर्माण तथा विचारों का परिपाक होता है। महात्मा गौतम बुद्ध का मानना था कि "सच्चा ज्ञान तो आचरण और अभ्यास में निहित है।" नैतिकता ही जीवन को सार्थक और गरिमामय बनाती है। शिक्षा का महान उद्देश्य मानव व्यक्तित्व को निखारना और अपूर्णता से पूर्णता की ओर अग्रसर करना है, यह पूर्णता भौतिक और आध्यात्मिक दोनों क्षेत्रों में प्राप्त करना हैं।

भारत में शिक्षा के पर्यायवाची शब्द के रूप में "विद्या" तथा "ज्ञान" शब्द का व्यवहार किया जाता है। विद्या शब्द का उद्‌गम संस्कृत की "विद" धातु से हुआ है। जिसका अर्थ होता है "जानना", "पता लगाना" अथवा "सीखना"। बाद में विद्या शब्द का प्रयोग पाठ्यक्रम के रूप में होने लगा। शिक्षा प्रशिक्षण, ज्ञान संवर्धन और पथ प्रदर्शन करने का कार्य है। शिक्षा से व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है। नवरत्न स्वरूप सक्सेना के शब्दों में "शिक्षा वह प्रकाश है जिसके द्वारा बालक की समस्त शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों का विकास होता है। इससे वह समाज का एक उत्तरदायी घटक एवं राष्ट्र का प्रखर चरित्र सम्पन्न नागरिक बनकर समाज की सर्वांगीण उन्नति में अपनी संस्कृति तथा सभ्यता को पुनर्जीवित एवं पुनरस्थापित करने के लिए प्रेरित हो जाता है।" शिक्षा के व्यापक लक्ष्य को स्पष्ट करते हुए जैन मुनि कल्याण सागर जी ने कहा है "शिक्षा का व्यापक लक्ष्य अज्ञान को दूर करना है। मनुष्य में जो शारीरिक, मानसिक और अध्यात्मिक शक्तियॉ मौजूद हैं और जो दबी पड़ी हैं, उन्हें प्रकाश में लाना ही शिक्षा का यथार्थ उद्‌देश्य है, परन्तु इस उद्‌देश्य की पूर्ति तब होती है जब शिक्षा के फलस्वरूप जीवन में संस्कार उत्पन्न होते हैं। केवल शक्ति के विकास में शिक्षा की सफलता नहीं है, अपितु शक्तियाँ विकसित होकर जीवन के सुन्दर निर्माण में प्रयुक्त होती हैं तभी शिक्षा सफल होती है।

अध्ययन का उद्‌देश्य

प्रस्तुत शोध कार्य निम्नलिखित उद्‌देश्यों के संदर्भ में पूर्ण किया जायेगा :–

1. प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था का विश्लेषण करना।
2. प्राथमिक महिला शिक्षिका की सामाजिक समस्याओं का विश्लेषण करना।
3. प्राथमिक महिला शिक्षिका की आर्थिक समस्याओं का वर्णन करना।
4. प्राथमिक महिला शिक्षिका की समस्याओं के निदान हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

अध्ययन विधि एवं प्रविधि

प्रस्तुत अध्ययन हेतु संगणना विधि का प्रयोग किया गया है, जिसकं अन्तर्गत मुरादबाद जनपद के ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत 50 प्राथमिक शिक्षकों की सामाजिक–आर्थिक समस्याओं का पता लगाने का प्रयास किया गया है। प्राथमिक तथ्यों के संकलन हेतु साक्षात्कार अनुसूची प्रविधि का प्रयोग किया गया है तथा यथा स्थान द्वितीयक तथ्यों का भी प्रयोग किया गया है, जिसका स्रोत पूर्व साहित्य व विभिन्न प्रतिवेदन है।

अध्ययन क्षेत्र

प्रस्तुत अध्ययन उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के संन्दर्भ में किया गया है। यह एक औद्योगिक नगर है, जो कि विश्व पटल पर पीतल नगरी के रूप में प्रसिद्ध है तथा यह देश की राजधानी नई

दिल्ली से मात्र 161 कि0मी0 पूर्व में लखनऊ–लिल्ली रेल मार्ग व 24 एन. एच. पी राम गंगा नदी के किनारे पर अवास्थित है।

समाज आज भी शिक्षक को आदर्श मानता है। विद्यार्थी उन शिक्षकों का कभी भी आदर नहीं करते जो कर्तव्यनिष्ठ नहीं हों। जिनमें योग्यता और क्षमता उतनी नहीं होती जितनी कि अपेक्षित होती है, समाज शिक्षक और विद्यार्थी के बीच बनते बिगड़ते रिश्तों की और सदैव संकेत करता है, शिक्षकों को यह दायित्व है कि समस्त शिक्षक "गुरू" होने की प्रतिष्ठा प्राप्त करें। आज भी पूरा समाज आशा भरी नजरों से शिक्षक की ओर देखता है कि फिर कोई गुरू सौंपे, फिर कोई गुरू संदीपनी बन जाए जो श्रीकृष्ण और सुदामा को साथ–साथ ज्ञान दें, या रवीन्द्र नाथ टैगोर जैसा महामानव आए जो छात्रों में ज्ञान संस्कार एवं विश्वबन्धुत्व की भावना भर सके या डॉ0 राधाकृष्णन जैसा शिक्षा का पुरोधा आए जो समन्वयी व सामंजस्यवादी विचारधारा को प्रवाहित कर अपनी गुरूता का आभास कराए।

शिक्षा के अंग –

विद्वानों के अनुसार शिक्षा के तीन अंग माने गये हैं।– (1) शिक्षक (2) बालक, (3) पाठ्यक्रम।

1. शिक्षक –

प्राचीन युग में शिक्षक को मुख्य स्थान प्राप्त था तथा बालक का गौण। वर्तमान युग की शिक्षा में इसका बिल्कुल उल्टा हो गया है। इसमें संदेह नहीं कि आधुनिक शिक्षा में शिक्षक का स्थान यद्यपि गौण हो गया है तथा बालक का मुख्य, फिर भी शिक्षक का उत्तरदायित्व पहले से और भी अधिक बढ़ गया है। इसका कारण यह है कि आधुनिक युग में शिक्षक केवल बालक के वातावरण का एक महत्वपूर्ण अंग ही नहीं है अपितु वह सम्पूर्ण वातावरण का निर्माण भी करता है। शिक्षक को चरित्रवान प्रसन्न चित्त तथा धैर्यशील होना परम आवश्यक है। यही नहीं, शिक्षक को अपने विषय को पूर्ण तथा अन्य विषयों का सामान्य ज्ञान भी अवश्य होना चाहिए। इससे उसे अपने कार्य में सफलता मिलेगी और कक्षा में अनुशासन भी बना रहेगा। वर्तमान युग में शिक्षक के लिए सच्चरित्रता तथा पांडित्य के साथ–साथ आधुनिक शिक्षण–पद्धतियों के प्रयोग द्वारा बालक का अधिक से अधिक विकास कर सके। संक्षेप में, **शिक्षक राष्ट्र का महत्वपूर्ण अंग भी है और निर्माता** भी।

2. बालक –

बालक शिक्षा का केन्द्र होता है। **मॉण्टेसरी** का कहना है, "यदि कोई शैक्षिक कार्य सफल हो सकता है तो वही जो बालक के व्यक्तित्व से पूर्ण सहायता प्रदान करता है।" बालक में

विकास की अनेक विशेषतायें और सम्भावनायें होती है। इनका विकास स्वतन्त्र वातावरण में ही सम्भव है। अतः बालक की रूचि और इच्छा को महत्व प्रदान किया जाना चाहिए। **मॉण्टेसरी** ने कहा है कि, "बालक एक शरीर है जो बढ़ता है, एक आत्मा है जो विकसित होती है। विकास के इन दोनों स्वरूपों को न तो हमें कुरूप बनाना चाहिए और न ही दबाना चाहिए, परन्तु उस समय के हेतु प्रतिक्षा करनी चाहिए जब किसी शक्ति का क्रमानुसार प्रकटीकरण हो।

3. पाठ्यक्रम –

पाठ्यक्रम का अर्थ है शैक्षणिक कार्यक्रम। किसी विशेषज्ञ की दृष्टि से पाठ्यक्रम विभिन्न प्रकार की जानकारियों तथा कुशलताओं का संग्रह होता है। आधुनिक अवधारणा के अनुसार पाठ्यक्रम अनुभवों, क्रियाओं तथा जीवन की वास्तविक परिस्थितियों का संचय है जिनमें बालक भाग लेता है, जिनका सामना करता है। इस अवधारणा के अनुसार हम कह सकते हैं कि पाठ्यपुस्तकों, विषयवस्तु तथा अध्यापन के कोर्स से कुछ अधिक होता है।

प्राथमिक शिक्षा

प्राथमिक शिक्षा बालक के विकास की प्रथम आधार शिला है। अगर बच्चे को प्रारम्भ से ही सही शिक्षा प्राप्त होती है तो वह स्वयं समाज, परिवार व विश्व के लिए लाभदायक व दिशा निर्देशक सिद्ध होता है। प्राथमिक शिक्षा के संकुचित अर्थ से तात्पर्य शिक्षा की विद्यालय व्यवस्था से है। जहाँ बालक को शिक्षा निश्चित पाठ्यक्रम, समय विभाग, चक्र एवं सुनिश्चित अध्यापकों द्वारा दी जाती है निश्चित प्रक्रिया, निश्चित उद्देश्य, निश्चित समय, निश्चित स्थान, निश्चित राशि, निश्चित व्यवस्थायें सभी संकुचित शिक्षा के कारक हैं। इसे ही अनुशासित शिक्षा कहते हैं। संकुचित शिक्षा के माध्यम से बालक को पुस्तकीय ज्ञान दिया जा सकता है या वह प्राप्त कर सकता है। परन्तु शुकरटन प्रक्रिया द्वारा तोते के समान रटने वाली शिक्षा को शिक्षा नहीं कहा जा सकता इसे अध्यापनयी निर्देश कह सकते हैं।

डॉ0 मोहम्मद हारून (2005) ने कहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था करना राज्य सरकारों का दायित्व है।

प्राथमिक शिक्षक के लिए योग्यता व वेतनमान

बी0टी0सी0

प्राथमिक शिक्षकों के लिए बी0टी0सी0 और विशिष्ट बी0 टी0 सी0 की उच्च शिक्षा आवश्यक है तथा इनकी चयन व नियुक्ति पूर्णतः सरकारी स्तर पर की जाती है। बी0 टी0 सी0 (बेसिक टीचर्स सर्टिफिकेट) को करने के लिए सर्वप्रथम स्नातक उपाधि के पश्चात् बी0 टी0 सी0

प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् 2 वर्षिय बी0टी0सी0 की ट्रेनिंग करनी आवश्यक होती है।

विशिष्ट बी0 टी0 सी

इसके अन्तर्गत बी0 एड0 परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक योग्यता है। इसके साथ शैक्षिक परीक्षाओं (स्नातक, बी0एड0) में प्राप्त अंकों के आधार पर मैरिट तैयार की जाती है। मैरिट में स्थान प्राप्त करने के बाद तीन माह का प्रशिक्षण डायट में लिया जाता है और तीन माह का प्राथमिक विद्यालय में शिक्षण प्रशिक्षण आवश्यक है। तत्पश्चात् विशिष्ट बी0टी0सी0 (स्पेशल बेसिक टीचर्स सर्टिफिकेट) पूर्ण माना जाता है। इस दौरान शिक्षक को मानदेय स्वरूप रू0 3000 प्रतिमाह सरकार द्वारा दिये जाते है।

प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षकों को वेतनमान

वर्ष 2019 में दिये जा रहे वेतनमान को निम्न सारणी के द्वारा समझा जा सकता है–

Salary Detail	Salary Structure (Rural)	Salary Structure (Urban)
Old Pay Scale	9,300-34,800	9,300-34,800
Old Grade pay	4200	4200
New Basic Pay (According to 7th pay commission)	35400	35400
Dearness Allowance (12% of Basic)	4248	4248
House Rent Allowance	1340	3540
Total Gross Salary (Approximate)	□ 40988	□ 43188
Total Net Salary (Approximate)	**□ 39000 to 40000**	**□ 41500 to 42500**

UP Assistant Primary teacher is those who can teach up to 5th class. UP Assistant Primary teacher can different on the basis of place of posting. Complete detail of gross & In-hand Salary of UP Assistant Primary Teacher is given below on the basis of the 7th Pay Commission.

प्राथमिक शिक्षक

प्राथमिक शिक्षक अध्यापक शिक्षण प्रक्रिया का सच्चा सूत्रधार है। प्राथमिक शिक्षक के व्यक्तित्व का बालकों के ऊपर अमिट प्रभाव पड़ता है और वह उनके भावी जीवन की नींव रखता है। कहा गया है कि किसी समाज में प्राथमिक अध्यापक का दर्जा उसके सामाजिक, सांस्कृतिक,

लोकाचार को प्रतिबिम्बित करता है। प्राचीन काल में प्राथमिक शिक्षक त्यागी, तपस्वी तथा महान ज्ञानी थे। छात्रों के प्रति उनके हृदय में गहरी प्रतिबद्धता थी। वे अपना सम्पूर्ण जीवन ज्ञानार्जन के लिए अर्पित कर देते थे। छात्रों के आचरण तथा जीवन पर प्राथमिक शिक्षकों का गहरा प्रभाव था। संस्कृत में कहा गया है, **"आचारं ग्राहति आचिनोत्यर्थान् आचिनोति बुद्धिमिति वा।"** अर्थात् जिसका आचरण किया जाय वह आचार्य है।

हमारे समाज में आज प्राथमिक अध्यापक को एक कठिन भूमिका निभानी पड़ती है। प्राथमिक शिक्षक वर्तमान समाज की दशा में सुधार लाने का प्रयाास करता है तथा सामाजिक परिवर्तन लाने में एक कारक की भूमिका निभाता है। इस तरह प्राथमिक शिक्षक को दोहरी भूमिक निभानी पड़ती हैं। इन दोनों भूमिकाओं का समान महत्व है। समाज की समृद्धि और विकास दोनों आवश्यक हैं। आज प्राथमिक शिक्षक के लिए सामाजिक प्रतिबद्धता का एहसास आवश्यक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 1986 में प्राथमिक अध्यापक का दर्जा उसके सामाजिक, सांस्कृतिक लोकाचार को प्रतिबिम्बित करता है। कहा गया है कि कोई भी राष्ट्र अपने अध्यापकों के स्तर से ऊपर नहीं उठ सकता।"

प्राथमिक शिक्षा का अर्थ है, "सिखाने वाला"। सिखाना और सीखना एक ही क्रिया के दो पहलू हैं। सिखाने वाला वही होता है जो सीखकर पारंगत हो चुका हो। अतः उसका स्थान बड़ा हुआ। बड़ा ही 'गुरू' कहलाता है।

शिक्षक राष्ट्र के निर्माणकर्ताओं में एक विशेष निर्माणकर्ता है, क्योंकि यह अपने कार्य से भावी नागरिकों को मात्र शिक्षित ही नहीं करता बल्कि उनके चरित्र को भी निर्मित करता है, उनकी प्रतिभा को दिशा देता है तथा अपने प्रस्तुतीकरण से छात्रों के मन में आदर्श की स्थिति की भावना जागृत करने में सहयोग करता है। समाज का वह मानव जिसके प्रत्येक प्रक्रिया से यदि राष्ट्र के भावी नागरिक प्रभावित होते है तो समाज के अन्य सदस्यों का नैतिक धर्म बनता है कि इनको ऐसी तथा इतनी सुविधाएं प्रदान किए जाएं, जिससे इनके कल्पनाशक्ति, रचनात्मक विचार तथा कार्यशैली प्रभावित न हो। क्योंकि शिक्षकों की कल्पनाशक्ति इस बात की व्यवस्था बनने को विचार देती है कि विद्यार्थियों को किस प्रकार अधिक–से–अधिक अधिगम कराया जाए। शिक्षकों के रचनात्मक विचार विद्यालय में शिक्षण व्यवहार एवं वातावरण को प्रभावी करते हैं।

भारतीय समाज के विभिन्न समूहों एवं समुदायों में भिन्न– भिन्न सामाजिक–आर्थिक समस्याएँ विद्धमान हैं। यदि भौगोलिक कारणों को छोड़ दिया जाए तो भारतीय शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक समूदाय की सामाजिक स्थितियाँ लगभग एक समान है। इस संदर्भ में मैंने ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत् महिला शिक्षकों की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए

साक्षात्कार– अनुसूची में ऐसे प्रश्नों को सम्मिलित करने का प्रयत्न किया है जिससे महिला शिक्षकों की समस्याओं को वर्गीकृत एवं विश्लेषण कर कुछ सीमा तक जानने–समझने में सहायक हो सके। ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत चयनित प्राथमिक शिक्षकों से जब उनका मन्तव्य लिया गया तो जो तथ्य प्राप्त हुए उसे निम्न तालिका द्वारा दर्शाया गया है–

सारणी सं –1

विद्यालय आने–जाने में असुविधा का विवरण

क्र0सं0	विद्यालय आने–जाने में असुविधा	संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	17	34
2.	नहीं	31	62
3.	तटस्थ	02	04
योग		50	100

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि सर्वाधिक 34 प्रतिशत शिक्षिकाओं ने विद्यालय आने–जाने की समस्या को स्वीकार करती हैं, जबकि सर्वाधिक 62 प्रतिशत शिक्षिकाएं अपने कार्य स्थल पर आने–जाने की समस्या को किसी प्रकार की प्रमुख समस्या मानती नहीं है। लेकिन इसमें वहीं शिक्षिकाएं है जिनका कार्यस्थल शहर के किनारे है अथवा मुख्य सड़क पर स्थित है। जिन शिक्षिकाओं ने कार्य स्थल आने–जाने को समस्या बताईं हैं उनकी माँग है कि मुख्य सड़क से गाँव की ओर जाने वाली सड़कों पर विद्यालय आने– जाने वाले समय पर सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे बच्चों को शिक्षा–दीक्षा पर प्रभाव न पड़े।

सारणी सं – 2

महिला प्राथमिक शिक्षिकाओं का कार्य से सन्तुष्टी

क्र0सं0	क्या अपने कार्य से संतुष्ट है	संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	44	88
2.	नहीं	06	12
3.	तटस्थ	00	00
योग		50	100

उपर्युक्त सारणी के विवरण से स्पष्ट है कि उत्तरदाता शिक्षिकाओं में से 88 प्रतिशत शिक्षिकाओं ने यह स्वीकार किया कि वे अपने कार्य से संतुष्ट है। जबकि केवल 06 प्रतिशत शिक्षिका ने अपने भविष्य की योजना के अनुरूप बताया कि वे अपनी योग्यता के अनुरूप नौकरी

नहीं मिलने से असंतुष्ट दिखीं। अतः यह स्पष्ट है कि जिन महिलाओं ने शिक्षक बनने की योजना बनाई थीं वे संतुष्ट है, लेकिन जिन्होंने प्राईमरी शिक्षक बनना अल्पकालिक कार्य योजना रहा है, वे अपने कार्य से असंतुष्ट पाई गई है।

सारणी सं – 3

महिला प्राथमिक शिक्षिकाओं का वेतन से सन्तुष्टी

क्र0सं0	क्या आप वेतन से संतुष्ट है	संख्या	प्रतिषत
1.	हाँ	46	92
2.	नहीं	04	08
3.	तटस्थ	00	00
योग		50	100

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि शोध कार्य में सम्मिलित सर्वाधिक 92 प्रतिशत शिक्षिकाएं अपने कार्य, योग्यता तथा श्रेणी के अनुरूप प्राप्त वेतन से संतुष्ट पाई गई। जबकि मात्र 02 प्रतिशत शिक्षिकाएं अपने वेतन से आसंतुष्ट पाई गई। लेकिन इसके विपरीत लगभग सभी शिक्षिकाओं, ने वेतन विसंगतियों जैसे, एरीयर भुगतान में देरी, मंहगाई भत्ता में देरी, आवासीय–भत्ता की विसंगति, जी0पी0 एफ0 एडवांस के निकासी में घूसखोरी आदि से शिकायत की है। वे चाहती हैं कि उन्हें वेतन तथा बकाया वेतन आदि पर सरकार सही और उचित नियम बनाकर ठीक समय पर भुगतान की व्यवस्था करे।

4. महिला प्राथमिक भिाक्षिकाओं का प्रतिदिन स्कूल आने–जाने तथा अध्यापन कार्य करने की स्थिति –

समाज आज भी शिक्षक को आदर्श मानता है। समाज शिक्षक और विद्यार्थी के बीच बनते बिगड़ते रिश्तों की और सदैव संकेत करता है, शिक्षकों का यह दायित्व है कि विद्यार्थियों को सही एवं सार्थक व्यवहार करने की आदतों का विकास करें जिसका आधार यह होता है कि शिक्षक अपने कर्तव्यों को जिम्मेदारों, दायित्वपूर्ण और जवाबदेयता के साथ निर्वाह करे।

सारणी सं – 4

महिला प्राथमिक शिक्षिकाओं का स्कूल आने– जाने तथा अध्यापन कार्य करने की स्थिति

क्र0सं0	क्या आप प्रतिदिन स्कूल जाती हैं/अध्यापन कार्य करती हैं?	संख्या	प्रतिषत
1.	हाँ	48	96
2.	नहीं	02	04

3.	तटस्थ	00	00
योग		50	100

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि सर्वाधिक 92 प्रतिशत शिक्षिकाएं उत्तरदाताा शिक्षिकाओं ने बताया है कि वे प्रतिदिन विद्यालय जाती हैं तथा अध्यापन कार्य करती हैं। जबकि मात्र 02 प्रतिशत शिक्षिकाएं प्रतिदिन विद्यालय जाने में असमर्थता जताई है। लेकिन वे बताती हैं कि अध्यापन मेहनत तथा ईमानदारी से कार्य करती है। परन्तु वे साथ में इस बात के लिए प्रश्न भी करती हैं कि जब सरकारी नीतियाँ ही विद्यालयों में पठन–पाठन का वातावरण ही नहीं बनने देना चाहती हैं तो हम शिक्षिकाएं कर भी क्या सकती हैं?

अतः यह कहा जा सकता है कि यदि इन शिक्षों को शिक्षा से इतर किसी अन्य कार्यो में न लगाया जाए तो इन्हें अपने शिक्षण कार्य में रूचि बनी रहेगी।

सारणी सं – 5

महिला प्राथमिक शिक्षिकाओं का बच्चों को पढ़ाते समय उनके समक्ष आने वाली समस्या

क्र0सं0	क्या आप बच्चों को पढ़ाते समय कोई समस्या आती हैं?	संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	46	92
2.	नहीं	04	08
योग		50	100

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि लगभग 92 प्रतिशत उत्तरदाता शिक्षकों ने बच्चों को पढ़ाते समय समस्या का सामना करना पड़ता है, स्वीकार किया है। इन्हें जिन विशेष समस्याओं का सामना करना पड़ता हैं उनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं–

1. अधिकांश बच्चे मूलतः अशिक्षित परिवार से होते है।
2. बच्चों के माता–पिता का मुख्य उद्देश्य उन्हें स्कूल भेजना होता है, क्योंकि उन्हें घर पर बिल्कुल नहीं पढ़ाते है।
3. बच्चों को घर में पढ़ने–लिखने का वातावरण नहीं बनाया जाता है। जिससे उन्हें सिखाने में बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है।

उत्तरदाता महिला प्राथमिक शिक्षिकाओं ने बताया कि प्राथमिक शिक्षा व्यवहारिक शिक्षा बन गई है। जिससे माता–पिता तथा बच्चों पर पढ़ने–पढ़ने का दवाब नहीं बनाया जा सकता है–

1. जैसे अनुर्त्तीण बच्चों को उर्त्तीण करना पड़ता है।
2. गृह कार्य पर सरकार द्वारा पाबंदी लगा देना।

3. पढ़ने के लिए बच्चों को सजा देने पर पाबंदी लगा देना तथा साथ ही छात्रों को सजा देना भी आपराधिक मामला घोषित कर देना आदि।

इन सब कारणों से शिक्षकों को अपने कार्य को डर सहम कर करता है।

अपने शोध कार्य के सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त किए गए आँकड़ों के विश्लेषण तथा सर्वेक्षण के दौरान अवलोकन से प्राप्त आनुभाविक ज्ञान से महिला प्राथमिक शिक्षकों की सामाजिक, आर्थिक तथा कार्यस्थलीय समस्याओं को हल करने के लिए कुछ तर्कपरक सुझाव निम्नलिखित हैं–

संरचनात्मक विकास

महिला प्राथमिक शिक्षकों के संरचनात्मक विकास में उन्हें उनके कार्य स्थल विशेषतः ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों तक आने–जाने के लिए परिवहन की व्यवस्था सरकार द्वारा आवश्यक रूप से किया जाना चाहिए। इसके लिए सरकार को अतिरिक्त धन खर्च करने अथवा अतिरिक्त बजट बढ़ाने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि राज्य सरकारे अपने प्रदेशीय सड़क परिवहन की बसों को स्कूल खुलने के समय चलवाने का निर्देश दे सकती है, जिससे इन्हें विद्यालय आने–जाने की समस्या का समाधान मिल सकता है। क्योंकि इन्हें 30 से 40 किलोमीटर एक तरफ से जाना पड़ता है, जिसके लिए उन्हें प्रतिदिन तरह तरह की सवारी गाड़ियों की व्यवस्था करनी पड़ती है। इससे उन्हें कार्य स्थल पर जाने का जोश अथवा मनोबल ऊँचा नहीं रहता है तथा स्कूल पहुँचाने के बाद घर वापसी की व्यवस्था बनाने में लगी रहती है। अतः वे अपने पेशे तथा कार्य के प्रति न्याय नहीं कर पाती हैं।

वित्तीय प्रबन्धन

विद्यालयीय वातावरण को शैक्षणिक वातावरण बनाने के लिए आवश्यक संसाधनों को जुटाने के लिए प्राथमिक विद्यालयों के पास इतना फण्ड होना चाहिए कि आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके।

महिला प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति से सम्बन्धित समस्याओं जैसे वेतन–भत्ते सम्बन्धित समस्याओं का भुगतान, एरियर (बकाया वेतन तथा भत्ते आदि) का सही समय पर भुगतान, घर में किसी बड़े कार्य जैसे कि बहन–बेटी की शादी, माँ–पिता के इलाज तथा मकान मरम्मत आदि के लिए जिसमें अधिक धन खर्च होने की सम्भावना हो तो वेतनभोगी अध्यापकों के लिए वित्त का एक संसाधन जी0पी0एफ0 है। इसको एडवांस में निर्गत कराने सम्बन्धित समस्याओं के निदान तथा इसका भुगतान प्राप्ति को लेकर प्रायः समस्याओं का सामना करती रहती है। सरकार को इन समस्याओं को गम्भीरता से लेना चाहिए क्योंकि आर्थिक आजादी बुद्धिजीवियों को अपने मानसिक उपयोग करने की तीव्रता बढ़ाती हैं।

प्राथमिक शिक्षक वेतन से प्रायः संतुष्ट पाए गए हैं लेकिन सुविधाएं तथा अन्य भत्ते जैसे मकान भत्ता, स्वास्थ्य सुविधा, यातायात सुविधा की माँग करते हैं जो जायज भी है। अतः इन सुविधाओं पर ध्यान देना चाहिए। मकान भत्ता को लेकर ग्रामीण प्राथमिक महिला शिक्षकों का तर्क कुछ हद तक सही लगा। वे कहती हैं कि शहरी अध्यापकों को मकान भत्ता अधिक मिलता है जबकि वे आसानी तथा कम समय खर्च कर अपने स्कूल चली जाती हैं तथा घर वापस भी जल्दी आ जाती हैं और उन्हें कोई अतिरिक्त प्रयास भी नहीं करना पड़ता है जबकि दूर तथा दूरस्थ इलाकों में पढ़ाने वाली शिक्षकों को गई घण्टों पहले से तैयारी करनी पड़ती है। घर वापसी के समय कभी–कभी वाहनों की समस्या का सामना करना पड़ता है जबकि शहरी अध्यापकों की तुलना में मकान भत्ता बहुत कम मिलता है। सरकार को शहरी आकस्मिक भत्ता (सी0सी0ए0) की तर्ज पर ग्रामीण आकस्मिक भत्ता (जी0सी0ए0) के लिए योजना बनाने की आवष्यकता पर विचार किया जाना चाहिए।

िक्षण से इतर कार्यो में संलग्नता का निदान

प्राथमिक शिक्षकों को शिक्षण से इतर कार्यो में संलग्नता को निश्चितः ही समाप्त कर देना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा की प्रभावहीनता शिक्षक सरकार पर दोष लगाकर बचते हैं तथा सरकार भी अप्रभावी प्राथमिक शिक्षा के लिए इन शिक्षकों पर कड़ाई से कार्यवाही नहीं कर पाती हैं क्योंकि शिक्षकों के पास इसके लिए तर्क होता है कि जब स्कूलों में छुट्टी तथा अन्य कार्यो के लिए कहीं अन्यत्र भेजा जाता हैं तो स्कूलों में पढ़ाने के लिए समय ही कितना बचता है। प्राथमिक शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए इस सम्बन्ध में प्रभावी उपाय बनाने की आवश्यकता है।

कार्य दिवस प्रबन्ध

प्राथमिक शिक्षा को प्रभावी, आकर्षक और विकासात्मक बनाने के लिए वर्ष भर की सभी छुट्टियाँ समाप्त करके सप्ताह में पाँच दिवस कार्य (थ्पअम क्ंल ॅममामदक) कर देने पर सरकार द्वारा विचार किया जाना चाहिए। इससे प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा– दीक्षा की निरन्तरता बनी रहेगी। क्योंकि मई–जून में गर्मी की 40 दिवस की छुट्टी तथा दिसम्बर–जनवरी में जाड़े की 10 से 15 दिवस का शैक्षणिक अवकाश तथा अन्य छुट्टियाँ लगातार रहने से विद्यालय के शैक्षणिक वातावरण पर बुरा प्रभाव पड़ते हैं। वैसे भी इस सुझाव से विद्यालयीय छुट्टियों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा किन्तु कार्य दिवस की निरन्तरता के कारण विद्यालयीय शैक्षणिक वातावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा क्योंकि कक्षाओं की निरन्तरता बच्चों को पढ़ने तथा सीखने पर मजबूर करेंगी और सप्ताह में दो दिन की छुट्टी के लालच में बच्चे तथा शिक्षक दोनों प्रतिदिन विद्यालय आने की प्रवृत्ति को बल मिलेगा।

राज्य तथा समाज को यह नहीं भूलना चाहिए कि शिक्षक राष्ट्र निर्माण में प्रभावी, सकारात्मक तथा प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से अपने ज्ञान, आचरण तथा बुद्धिमता आदि से समाज को अपना सर्वस्व योगदान करते है। मनोवैज्ञानिकों तथा समाजशास्त्रियों ने सीखने एवं प्रत्युत्तर तथा समाजीकरण के प्रतिपादित सिद्धान्तों से यह सिद्ध किया है कि बच्चें जिस वातावरण में जैसा सीखते हैं बड़े होकर वैसा ही आचरण करते हैं। शायद यही एक कारण है कि स्कूलों में प्रायः छुट्टी रहने के कारण बच्चों की मानसिकता पर अपने पेशेगत जीवन में भी अत्यधिक छुट्टी पर रहने की प्रवृत्ति बनी रहती है अथवा ही चाहते हैं। प्राथमिक शिक्षकों की समस्याएं देखते हुए समाज में इन शिक्षकों को 'बेचारे शिक्षक' की उपमा देकर बुलाते हैं तथा बहुतायत युवा मजबूरी में प्राथमिक शिक्षक बनने का प्रयत्न करते है।

सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षक पद को भी आकर्षक एक रचनात्मक कार्य के लिए योजना बनानी चाहिए ताकि लोग प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए प्रयास करें जिस प्रकार से लोग विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों तथा माध्यमिक विद्यालयों, में सेवा प्रदान करने के लिए तैयार रहते हैं।

ि◌ाक्षा ट्रिव्यूनल

प्राथमिक शिक्षा में महिलाएं महत्वपूर्ण मानव संसाधन के रूप में अपना योगदान करती है। उत्तरदात्री शिक्षिकाओं ने प्रायः सभी ने बताया हैं कि किसी भी छोटी–बड़ी गलती पर उनके वरिष्ठ सहकर्मी तथा विभागीय अधिकारी बात– बात धमकी देते रहते है तथा किसी भी इस गलती को दुरूस्त करने के लिए रिश्वत की माँग करते हैं या सस्पेण्ड कर देने की चेतावनी देते हैं। ऐसी स्थिति में महिला प्राथमिक शिक्षिकाएं मानसिक तनाव की प्रताड़ना सहती हैं। जोकि शैक्षणिक वातावरण तथा प्रशासनिक स्तर पर ठीक नहीं है। ऐसे समस्याओं का तहसील दिवस की भाँति शिक्षकों के सहयोग से "निदानात्मक प्रकोष्ठ" विकास खण्ड स्तर पर बनाया जाना चाहिए। जहाँ पर शिक्षक–अधिकारी आमने–सामने बैठकर समस्याओं का समाधान कर सकें।

ऐसे समस्याओं के निराकरण हेतु "शिक्षा ट्रिव्यूनल" बनाया जाना चाहिए जिससे भारी तादाद में शिक्षा तथा शिक्षकों की समस्या का निराकरण न्यायालय के माध्यम से नहीं बल्कि शिक्षा ट्रिब्यूनल के माध्यम से किया जा सके। इससे शिकायतों पर कार्यवाही तथा सुनवाई भी जल्द से जल्द हो सके।

शोध–विकास एवं सहभागिता

प्राथमिक शिक्षकों की पाठ्यक्रम की समस्या से सम्बन्धित बातों को ध्यान करके, शिक्षा विधियों प्रविधियों तथ पद्धतियों को अपनाने के लिए और सामाजिक संगठनात्मक तथा सामाजिक

संस्था के संरचनात्मक परिवर्तन तथा विकास से सम्बन्धित होने वाले शोध एवं विकास कार्यक्रमों में इनकी सहभागिता की प्रभावी व्यवस्था की जानी चाहिए। क्योंकि प्राथमिक शिक्षा से सम्बन्धित शिक्षक ही नित्य प्रति आने और घटित होने वाली समस्याओं से सामना करते हैं और अपने पास उपलब्ध संसाधनों से इन समस्याओं का वे समाधान भी करते है। इसलिए शिक्षा नीतियों, पद्धतियों एवं कानून आदि के निर्माण में प्राथमिक स्तर पर कार्यरत् शिक्षकों की सहभागिता को आवश्यक बनाने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ऐसे कार्यो से प्राथमिक शिक्षकों का मनोबल बढ़ेगा और उनके सहभागिता से नई नितियों आदि में वे कमी नहीं निकालेंगे और कमी हुई तो उसका समाधान भी वे स्वयं करेंगे तथा अपने कर्तव्यों का निर्वाहन मात्र दायित्वपूर्ण प्रवृत्ति से ही नहीं बल्कि जवाबदेयातापूर्ण प्रवृत्ति भी करेंगे।

महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए विधिक एवं संवैधानिक नियमों एवं कानूनों को पालन करने वाले प्राधिकरणों एवं संस्थाओं को और संवेदनशील तथा संसाधन पूर्ण बनाने की आवश्यकता पर बल देना चाहिए।

भारत गाँवों में बसता है क्योंकि आज भी भारत की जनसंख्या का 65 प्रतिशत जनसंख्या गाँव में निवास करती है। शिक्षा के क्षेत्र मं भारत का ग्रामीण क्षेत्र ही अधिक पिछड़ा हुआ है। प्राथमिक शिक्षा का महत्व ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक है। इसलिए देश के इस दो तिहाई आबादी के लिए प्राथमिक शिक्षा मात्र काम चलाऊँ शिक्षा के रूप में चलाकर राष्ट्र का विकास सम्भव नहीं हो सकता है। इसलिए प्राथमिक विद्यालय में प्रयोग होने वाले शिक्षा तत्वों एवं संसाधनों को आधुनिक शिक्षालयों जैसे–सी0बी0एस0सी0 एवं आई0सी0एस0सी0 बोर्ड की तर्ज पर बाई–फाई (Wi-Fi) बनाने की आवश्यकता पर बल देना चाहिए ताकि इन प्राथमिक विद्यालय अथवा संस्थानों में पढ़ाने वाले विद्यार्थी आधुनिक शिक्षालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों से प्रतिस्पर्धा कर सकें जिससे यहाँ के शिक्षको का मनोबल बढ़ सकें ताकि प्राथमिक विद्यालय में आने वाली नई पीढ़ी यहाँ अधिक मात्रा में दाखिला लें और प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक बच्चों को रोचकता और उत्साहपूर्वक से शिक्षा–दीक्षा दे सकें।

सन्दर्भ

1. सारस्वत, संगीता; (2004 सितम्बर), "भारत में प्राथमिक शिक्षा", कुरूक्षेत्र।

2. श्रीवास्तव, डॉ0 सुषमा एवं श्रीवास्तव, डॉ0 रचना; (2005, मार्च), "आदिवासी बालिका शिक्षा–समस्याएं एवं समाधान", समाज वैज्ञानिकी, षष्ट अंक।

3. हुसैन, डॉ0 जाकिर; (1978), "इमरजिंग वर्ल्ड"।

4. रेयंस, डी0जी0; (1970), "कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचर्स स्टडी– अमरीकन काउंसिल आन एजुकेशन", वाशिंगटन डी0सी0।

5. शर्मा सुंदरी बाला; (1996), "महात्मा गांधी के शिक्षा दर्शन का वर्तमान संदर्भ में आलोचनात्मक अध्ययन", (शोध–प्रबन्ध), डॉ0 भीष्म दत्तशर्मा, (शोध–निर्देशक), शिक्षाशास्त्र, मेरठ, मेरठ विश्वविद्यालय।

6. रेयंस, डी0जी0; (1970), "कैरेक्टरिकस्टिक ऑफ टीचर्स स्टडी– अमरीकन काउंसिल आन एजुकेशन", वाशिंगटन डी0सी0।

7. निम, चरित्रपाल सिंह; (2007), "हम बच्चे कैसे पढ़ाएं : समस्या एवं समाधान", नई दिल्ली, विश्व भारती पब्लिकेशन।

8. जायसवाल, डॉ0 सीताराम; (1997), मानण्टेशरी प्रणालीः ''शिक्षा सिद्धान्त'', लखनऊ।

9. तोमर, गोयल, 1999, "नगरीय समाजशास्त्र", दिल्ली रावत पब्लिकेशन।

10. जायसवाल, डॉ0 सीताराम; (1997), मानण्टेशरी प्रणालीः ''शिक्षा सिद्धान्त'', लखनऊ।